

राज्य योजना 2015–16 की प्रगति की समीक्षा

27 अप्रैल, 2016

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना

- वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य का स्वीकृत उद्व्यय— ` 57137.62 करोड़
- अतिरिक्त उद्व्यय के साथ कुल उद्व्यय— ` 69229.41 करोड़
- दिनांक 31.03.2016 तक व्यय— ` 53673.20 करोड़
- व्यय का प्रतिशत
 - स्वीकृत उद्व्यय का— 93.94 प्रतिशत
 - अतिरिक्त उद्व्यय के साथ कुल उद्व्यय— 77.53 प्रतिशत
- गत वर्ष 2014–15 का उद्व्यय— ` 52937.29 करोड़
- गत वर्ष 2014–15 में इस अवधि तक का व्यय— ` 45294.35 करोड़
(85.56 प्रतिशत)

निम्नांकित 22 विभागों का व्यय 80 प्रतिशत से अधिक :-

क्र०	विभाग का नाम	कुल उद्व्यय (रु० लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (31.03.16 तक) (रु० लाख में)	व्यय का प्रतिशत (31.03.16 तक)	गत माह तक का व्यय प्रतिशत (29.02.16 तक)
1	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	16596.35	16728.62	100.80	78.91
2	पर्यटन विभाग	6601.21	6538.00	99.04	78.49
3	सामान्य प्रशासन विभाग	13158.43	12760.95	96.98	31.42
4	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	52480.12	50861.75	96.92	89.91
5	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	11133.83	10727.92	96.35	69.22
6	जल संसाधन विभाग	155419.13	149094.00	95.93	67.03
7	सहकारिता विभाग	72614.59	69449.00	95.64	17.80
8	परिवहन विभाग	1187.17	1130.66	95.24	50.19

निम्नांकित 22 विभागों का व्यय 80 प्रतिशत से अधिक :-

क्र०	विभाग का नाम	कुल उद्व्यय (रु० लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (31.03.16 तक) (रु० लाख में)	व्यय का प्रतिशत (31.03.16 तक)	गत माह तक का व्यय प्रतिशत (29.02.16 तक)
9	गृह विभाग	56464.59	53017.77	93.90	81.91
10	पथ निर्माण विभाग	482022.00	451902.00	93.75	82.08
11	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	297530.66	269545.40	90.59	56.30
12	गन्ना उद्योग विभाग	16695.28	15084.00	90.35	79.12
13	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	159229.29	141901.60	89.12	80.19

निम्नांकित 22 विभागों का व्यय 80 प्रतिशत से अधिक :-

क्र 0	विभाग का नाम	कुल उद्व्यय (रु0 लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (31.03.16 तक) (रु0 लाख में)	व्यय का प्रतिशत (31.03.16 तक)	गत माह तक का व्यय प्रतिशत (29.02.16 तक)
14	श्रम संसाधन विभाग	16453.24	14653.20	89.06	24.56
15	विधि विभाग	10279.01	9093.76	88.47	67.20
16	ग्रामीण कार्य विभाग	923492.74	808599.00	87.56	70.92
17	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2297.22	1978.00	86.10	9.40
18	योजना एवं विकास विभाग	161811.90	138056.75	85.32	50.80
19	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	125878.00	105768.00	84.02	61.46
20	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	222514.43	180478.67	81.11	49.54
21	ऊर्जा विभाग	405860.00	289566.00	80.53	68.33
22	समाज कल्याण विभाग	668228.53	537870.55	80.49	49.82

निम्नांकित 14 विभागों का व्यय 50 से 80 प्रतिशत तक है :-

क्र0	विभाग का नाम	कुल उद्व्यय (रु0 लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (31.03.16 तक) (रु0 लाख में)	व्यय का प्रतिशत (31.03.16 तक)	गत माह तक का व्यय प्रतिशत (29.02.16 तक)
1	पर्यावरण एवं वन विभाग	22698.12	17987.00	79.24	63.22
2	शिक्षा विभाग	1321852.02	1030331.00	77.95	58.93
3	भवन निर्माण विभाग	24843.53	19077.04	76.79	65.59
4	स्वास्थ्य विभाग	306242.98	231321.70	75.54	59.30
5	वाणिज्य कर विभाग	203.77	148.98	73.11	43.86
6	लघु जल संसाधन विभाग	35271.28	25324.00	71.80	52.04
7	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	9012.29	6434.87	71.40	61.27
8	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	33849.81	22636.01	66.87	49.97
9	कृषि विभाग	209103.93	139574.39	66.75	42.44
10	उद्योग विभाग	149127.80	94377.00	63.29	36.35

निम्नांकित 14 विभागों का व्यय 50 से 80 प्रतिशत तक है :-

क्र 0	विभाग का नाम	कुल उद्व्यय (रु0 लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (31.03.16 तक) (रु0 लाख में)	व्यय का प्रतिशत (31.03.16 तक)	गत माह तक का व्यय प्रतिशत (29.02.16 तक)
11	ग्रामीण विकास विभाग	579467.17	340860.12	58.82	54.91
12	नगर विकास एवं आवास विभाग	207097.02	117359.00	56.67	41.42
13	वित्त विभाग	3500.00	1899.87	54.28	50.07
14	आपदा प्रबंधन विभाग	5038.44	2671.00	53.01	45.73

निम्नांकित 4 विभागों की प्रगति 0-50 प्रतिशत तक है:-

क्र 0	विभाग का नाम	कुल उद्व्यय (रु0 लाख में)	वर्ष 2015-16 में कुल व्यय (31.03.16 तक) (रु0 लाख में)	व्यय का प्रतिशत (31.03.16 तक)	गत माह तक का व्यय प्रतिशत (29.02.16 तक)
1	सूचना प्राद्यौगिकी विभाग	33955.89	16365.57	48.20	38.86
2	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग *	43955.51	17686.99	40.24	76.00
3	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	661.80	250.41	37.84	4.44
4	पंचायती राज विभाग	105402.86	31054.45	29.46	17.93

* विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को 30.03.2016 को 234.53 करोड़ रु0 का अतिरिक्त उद्व्यय दिये जाने के कारण मार्च 2016 के व्यय प्रतिशत में कमी।

वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार से विमुक्त राशि

- मूल उद्व्यय/बजट उपबंध- `15086.14 करोड़
- संशोधित बजट उपबंध- `20987.98 करोड़
- माह 31, मार्च 2016 तक भारत सरकार से विमुक्त राशि- `15932.41 करोड़
- गत माह तक भारत सरकार से विमुक्त राशि- `15046.65 करोड़
- विमुक्त राशि का प्रतिशत-
 - मूल उद्व्यय/बजट उपबंध के विरुद्ध- 105.61 प्रतिशत
 - संशोधित उपबंध के विरुद्ध- 75.91 प्रतिशत
- अद्यतन व्यय- `15184.73 करोड़
- व्यय का प्रतिशत (विमुक्त राशि के विरुद्ध)- 95.30 प्रतिशत

वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 4 योजनाओं के विरुद्ध केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि एवं व्यय शून्य है :-

क्र०	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल बजट	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)
1	2	3	4	5
1	कला, संस्कृति एवं युवा	पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पाईका)	1.82	1.82
2	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	अत्यन्त पिछड़ा वर्गों का विकास	2.29	2.00
3	समाज कल्याण विभाग	निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजना	5.00	5.00
4	जल संसाधन विभाग	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	0.00	79.23
	कुल		9.11	88.05

वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 9 योजनाओं के विरुद्ध केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि शून्य है, लेकिन विभाग द्वारा व्यय किया गया है:-

क्र०	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल बजट	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	व्यय (रु० करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	नगर विकास एवं आवास	राजीव आवास योजना (सभी के लिए आवास)	12.31	328.87	0.11
2	श्रम संसाधन/स्वास्थ्य	असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा (RSBY)	248.57	248.57	34.07
3	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण	अनु० जाति का विकास के लिए योजना	150.00	224.36	199.53
4	नगर विकास एवं आवास	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	0.00	100.41	100.41
5	विधि	न्यायालयों के लिए आधारभूत सुविधा का विकास	10.71	49.09	14.45

वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 9 योजनाओं के विरुद्ध केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि शून्य है, लेकिन विभाग द्वारा व्यय किया गया है:-

क्र०	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल बजट	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	व्यय (रु० करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
6	गृह विभाग	पुलिस बल एवं अन्य बलों का आधुनिकीकरण	0.00	48.14	46.14
7	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	एन०ई०जी०ए०पी०	0.00	18.65	18.65
8	पशु एवं मत्स्य संसाधन	एन०एल०एम०पी०	5.59	9.93	5.28
9	राजस्व एवं भूमि सुधार	एन० एल० आर० एम० पी०	5.07	5.07	5.06
	कुल		432.25	1033.09	423.7

निम्नांकित 13 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि के विरुद्ध व्यय शून्य है

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	कृषि विभाग	0.00	50.00	28.60
2	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम	कृषि विभाग	0.00	0.00	6.40
3	परम्परागत कृषि विकास योजना	कृषि विभाग	0.00	0.00	6.14
4	परम्परागत कृषि विकास योजना	कृषि विभाग	0.00	0.00	6.14
		योग	0.00	50.00	31.14
5	आयुष के लिए राष्ट्रीय मिशन (औषधीय पौधा सहित)	स्वास्थ्य विभाग	19.45	19.45	3.14
6	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	स्वास्थ्य विभाग	0.00	0.00	38.25
		योग	19.45	19.45	41.39
7	अन्य पिछड़ा वर्ग एवं डी नोटिफाईड नोमैडिक एवं सेमिनोमैडिक का विकास	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	20.00	163.28	2.50
		योग	20.00	163.28	2.50

निम्नांकित 13 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि के विरुद्ध व्यय शून्य है

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
8	महिला हेल्पलाइन	समाज कल्याण विभाग	0.00	0.00	0.63
		योग	0.00	0.00	0.63
9	100 स्मार्ट सिटी के लिए मिशन	नगर विकास एवं आवास विभाग	0.00	6.00	6.00
10	स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)	नगर विकास एवं आवास विभाग	0.00	0.00	20.00
11	सरदार पटेल शहरी आवास योजना	नगर विकास एवं आवास विभाग	0.00	0.00	10.43
		योग	0.00	6.00	36.43

**निम्नांकित 13 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि
के विरुद्ध व्यय शून्य है**

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
12	नागरिक अधिकारों के लिए तंत्र	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	0.00	0.00	9.50
		योग	0.00	0.00	9.50
13	वनों का सघनीकरण	पर्यावरण एवं वन	0.00	0.00	0.59
		योग	0.00	0.00	0.59
		कुल योग	39.45	238.73	122.18

**निम्नांकित 22 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि
के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया है**

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)	व्यय राशि	अधिक व्यय की गई राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	कृषि विभाग	36.46	36.46	4.00	14.00	10.00
2	राष्ट्रीय सस्टेनेबुल कृषि मिशन	कृषि विभाग	16.82	48.24	2.50	27.41	24.91
3	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं तकनीकी मिशन	कृषि विभाग	26.10	79.61	27.71	48.49	20.78
4	आई०डब्ल्यू०एम०पी०	कृषि विभाग	43.22	53.55	5.00	16.33	11.33
5	राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना	कृषि विभाग	280.74	322.98	111.20	178.60	67.40
		योग	403.34	540.84	150.41	284.83	134.42
6	एन०एल०एच० & डी०सी०पी०	पशु एवं मत्स्य	3.63	55.72	10.84	20.13	9.29
		योग	3.63	55.72	10.84	20.13	9.29

**निम्नांकित 22 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि
के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया है**

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)	व्यय राशि	अधिक व्यय की गई राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पो० मैट्रिक स्कॉलरशीप	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	0.00	72.05	74.85	111.44	36.59
		योग	0.00	72.05	74.85	111.44	36.59
8	शिक्षण विकास के लिए सहयोग	शिक्षा विभाग	44.42	106.20	54.34	66.33	11.99
9	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा विभाग	4769.18	4752.18	2518.67	2648.85	130.18
10	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	शिक्षा विभाग	54.37	54.37	36.01	44.61	8.60
		योग	4867.97	4912.75	2609.02	2759.79	150.77

**निम्नांकित 22 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि
के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया है**

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)	व्यय राशि	अधिक व्यय की गई राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य विभाग	25.47	25.47	20.18	21.18	1.00
		योग	25.47	25.47	20.18	21.18	1.00
12	अल्पसंख्यकों का विकास	अल्पसंख्यक कल्याण	99.38	149.38	44.96	145.40	100.44
		योग	99.38	149.38	44.96	145.40	100.44
13	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	योजना एवं विकास	60.84	61.96	60.65	61.96	1.31
		योग	60.84	61.96	60.65	61.96	1.31

**निम्नांकित 22 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि
के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया है**

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)	व्यय राशि	अधिक व्यय की गई राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	निर्मल भारत अभियान	लोक स्वा० अभि०	314.08	314.08	221.55	259.27	37.72
15	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	लोक स्वा० अभि०	111.95	264.95	202.74	261.95	59.21
		योग	426.03	579.03	424.29	521.22	96.93
16	पथ एवं पुल	पथ निर्माण	89.22	179.22	80.06	147.79	67.73
		योग	89.22	179.22	80.06	147.79	67.73
17	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन	ग्रामीण विकास	33.12	651.52	192.10	284.30	92.20
		योग	33.12	651.52	192.10	284.30	92.20

**निम्नांकित 22 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि
के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया है**

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)	व्यय राशि	अधिक व्यय की गई राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	अनु० जाति के छात्रों के शिक्षा के लिए अम्बरेला योजना	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	17.04	17.04	3.75	7.19	3.44
19	टी०एस०पी०	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	16.75	16.75	13.68	25.18	11.50
		योग	33.79	33.79	17.43	32.37	14.94
20	आई०जी०एम०एस०वाई०	समाज कल्याण	34.38	41.81	24.70	29.61	4.91
21	सबला	समाज कल्याण	0.00	83.26	8.75	10.90	2.15
		योग	34.38	125.07	33.45	40.51	7.06

**निम्नांकित 22 योजनाओं में केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि
के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया है**

क्र०	योजना का नाम	विभाग	मूल बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	संशोधित बजट उपबंध (रु० करोड़ में)	विमुक्त राशि (रु० करोड़ में)	व्यय राशि	अधिक व्यय की गई राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
22	ए०आई०बी०पी०	जल संसाधन/लघु जल संसाधन	46.36	192.76	47.48	156.20	108.72
		योग	46.36	192.76	47.48	156.20	108.72
		कुल योग	6123.53	7579.56	3765.72	4587.12	821.40

महत्वपूर्ण मुद्दे:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए योजना प्राधिकृत समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले संलेख प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग को 31.05.2016 के पूर्व सभी विभागों से अपेक्षित।

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से राशि विमुक्ति हेतु संबंधित सभी विभागों से संबंधित मंत्रालयों को प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भेजा जाना अपेक्षित।

- पत्रांक 1971/यो०वि० दिनांक 13.04.2016 द्वारा प्रेषित Spill Over Scheme के अंतर्गत 2016-17 में दायित्व की राशि एवं वर्तमान वर्ष के लिए संसूचित उद्ब्यय के संबंध में वांछित सूचनायें विहित प्रपत्र में दिनांक 20.04.2016 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध।

समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सामान्य प्रशासन, पर्यावरण एवं वन, विधि, वित्त एवं अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग से प्राप्त। नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त, परन्तु विहित प्रपत्र में नहीं। शेष सभी विभागों से अप्राप्त।

**दिनांक 10.03.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में
विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन
अपेक्षित है:-**

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अनुदान/सहायक अनुदान से संबंधित 20.00 करोड़ से कम लागत की योजनाएँ मंत्रिपरिषद् में नहीं लायी जायेगी। ऐसी योजनाएँ विभागीय स्तर पर अन्य सामान्य योजनाओं की तरह स्वीकृत की जायेगी। इस संबंध में प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि वित्त विभाग से परिपत्र भी निर्गत किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/संकल्प/निर्णय द्वारा गठित बोर्ड, प्राधिकार, एजेंसी एवं सोसाइटी अथवा किसी योजना विशेष के कार्यान्वयन हेतु गठित Special Purpose Vehicle के अनुदानित/सहायक अनुदानित स्कीमों की प्रशासनिक स्वीकृति वैसे ही प्रदान किया जायेगा, जैसे योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अन्य स्कीमों का प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। परन्तु निजी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान/सहायक अनुदान पूर्ववत स्वीकृत किये जायेंगे।	वित्त विभाग के ज्ञापांक 2063 दिनांक 11.03.2016 द्वारा संकल्प निर्गत।

**दिनांक 11.02.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार
प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:-**

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
मुख्य सचिव द्वारा शिक्षा विभाग/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2016-17 से समाप्त करने का निदेश। उनके द्वारा बताया गया कि अब राज्य सरकार के सात निश्चय अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किये जाने के कारण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं रह गयी है। इस संबंध में प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि अल्पसंख्यकों से संबंधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है। इसपर मुख्य सचिव द्वारा कहा गया कि जिन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है उनके संबंध में संबंधित विभागों के साथ अलग से बैठक कर निर्णय लेने का निदेश।	सभी संबंधित विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।

**दिनांक 11.02.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में
विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन
अपेक्षित है:-**

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम पाया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) योजना जो अति महत्वपूर्ण और सफल योजना है, परन्तु इसकी वर्तमान प्रगति संतोषप्रद नहीं है। मुख्य सचिव द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) की गहन समीक्षा विकास आयुक्त के स्तर से कराने का निदेश।	कृषि/पशु एवं मत्स्य संसाधन/सहकारिता विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।

**दिनांक 10.03.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में
विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन
अपेक्षित है:-**

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि स्पेशल प्लान अंतर्गत वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत `1887.53 करोड़ के विरुद्ध वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए `1487.53 करोड़ एवं पथ प्रक्षेत्र के लिए `279.00 करोड़ कुल `1766.53 करोड़ राशि विमुक्त। अभी भी पथ प्रक्षेत्र की `121.00 करोड़ विमुक्ति हेतु लंबित। नीति आयोग द्वारा पथ प्रक्षेत्र की योजना गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल योजना में भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि `1119.00 करोड़ के विरुद्ध भारत सरकार को संसूचित व्यय `1045.78 करोड़ से संबंधित अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग से अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग। मुख्य सचिव द्वारा पथ निर्माण विभाग को तुरन्त उपर्युक्त प्रतिवेदित व्यय के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश।	पथ निर्माण विभाग से वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त। जिसे नीति आयोग को प्रेषित। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से `121 करोड़ रू० विमुक्त।

**दिनांक 10.03.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में
विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन
अपेक्षित है:-**

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
<p>प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के सात निश्चय से संबंधित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर समीक्षा के लिए इंडिकेटर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। 15 दिन में इन्हें जिलों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। मुख्य सचिव द्वारा बिहार सरकार के सात निश्चय से संबंधित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति से समीक्षा कराने का निदेश।</p>	<p>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।</p>

**दिनांक 10.03.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में
विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन
अपेक्षित है:-**

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
<p>प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा अन्य विभागों की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसा Apps (ऐप्स) तैयार किये जाने की आवश्यकता है जिससे विभिन्न विभागों की कार्यान्वित योजनाओं का अनुश्रवण सुगमतापूर्वक किया जा सके। मुख्य सचिव द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा भवन निर्माण विभाग को इस बिन्दु पर कार्रवाई करने का निदेश।</p>	<p>भवन निर्माण/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।</p>

**दिनांक 10.03.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में
विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन
अपेक्षित है:-**

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
<p>प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि छपरा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की खोज की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि जे0पी0 विश्वविद्यालय, छपरा के नाम से अधिग्रहित भूमि में से मेडिकल कॉलेज के लिये जमीन उपलब्ध कराने का शिक्षा विभाग से अनुरोध। मुख्य सचिव द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग से इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने का निदेश।</p>	<p>स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।</p>

**दिनांक 10.03.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में
विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन
अपेक्षित है:-**

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
<p>सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गोदाम निर्माण हेतु बाजार समितियों में भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध। मुख्य सचिव द्वारा कृषि विभाग अंतर्गत गठित समिति के समक्ष इस विषय को रखने का सुझाव।</p>	<p>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं कृषि विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।</p>

धन्यवाद